न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 14/2018(मुतफरिक) दायर दिनांक–10.7.18

फैसल दिनांक– 29.1.19

अनवान

1– श्री बंशीलाल कलाल पिता नारायणलाल कलाल
2– श्री हवचन्द पिता नारायणलाल कलाल
3– श्री गटूलाल उर्फ गजेन्द्र कलाल पिता नारायणलाल कलाल निवासी वरदा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1– नारायणलाल पिता रतनजी उर्फ रतु कलाल निवासी वरदा
2– लेण्ड होल्डर तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थीगण)

वकील प्रार्थी –श्री सी0एस0शुक्ला
वकील अप्रार्थी – श्री मयंक दोसी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ऑर्डर 39 रूल 1 व 2 जा0दी0 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रार्थी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगणद्वारा एक दावा उपखण्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया है ,यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं0 1 आपस में पिता पूत्र है ।प्रार्थना पत्र की कलमसंख्या 2 में वर्णित पीढीनामा अनुसार मूल पुरूष रतु उर्फ रतनजी के तीन पूत्र माधवजी नारायणलाल एंव मंगलजी तथा नारायणलाल के पूत्र प्रार्थीगण एंव मंगलजी के दिलीप व अशोक पूत्र है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित गांव वरदा एवं गांव मेणोर

Scanned by CamScanner

की है , प्रार्थीगण तीनो ही अप्रार्थी संख्या 1 के पूत्र है । अप्रार्थी नं0 1 श्री नारायणलाल को कतिपय लोग उनकी वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की गैर मोजूदगी में उन्हे बहला फुसलाकर जमीन को अपने नाम करवाने और विक्रय विलेख तहरीर एवं तकमी ल करवाने की योजना बना रहे है ।

यह कि जमीन पैतृक है एवं प्रार्थीगण का जन्म के साथ ही हक एवं अधिकार है । पूर्व में यह जमीन श्री रतनजी वल्द उँकार के नाम से जमाबन्दी संवत 2022 में दर्ज रेकार्ड है इस वजह से अप्रार्थी सं0 1 को उक्त जमीन प्रार्थीगण की बिना जानकारी एवं उनकी बीना सहमती के बेचने का कोई अधिकार नही है । अतः प्रार्थीगण के पक्ष में दौराने दावा मौजा वरदा एंव मेणोर के उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के बिना पुछे एवं उनके बिना सहमती के जमीन नहीं बेचे ,न ही हस्तान्तरण करें और न ही किसी अन्य को ट्रान्सफर करें । व साथ ही प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे एंव काश्त की जमीन के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करें ।वादीगण की जमीन छीनने,हडपंने अतिक्रमण दखलन्दाजी करने इत्यादि की कोशिश नहीं करें ।प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे करावें ,प्रार्थीगण को अपनी जमीन समतल करने उन्नत करने हकाई जूताई एंव शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में अप्रार्थी स्वयं दखल ना करें ना ही अपने मित्र एजेण्ट या ठेकेदार के मार्फत करावे ,जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण पीढीनामा नहीं बताना , प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की नही होकर अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे एंव स्वामित्व की होकर प्रार्थीगण का इस पर कोई कब्जा काश्त नही होना, प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के पूत्र है तथा अलग रहते हैं ।प्रार्थीगण अपने बूजूर्ग माता पिता की सेवा चाकरी नहीं करते है न ही रोटी पानी देते हैं। अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह भी बताया है कि अप्रार्थी की पत्नि बिमारी से पीडित है ,उसके आय का कोई जरिया नही है ,अपनी पत्नि के ईलाज पर व अपनी व अपने स्वयं के भरण पोषण

Scanned by CamScanner

हेतु उसे अपनी खेती की जमीन को विकय करने के अलावा ओर कोई चारा नही है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर अप्रार्थी संख्या 1 अपने कब्जे काश्त की भूमि से मेहरूम हो जाएगा । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे ।

अप्रार्थी का उक्त जवाब प्रस्तुत होने पर अभिभाषकगण की बहस सूनी गई ।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कमशः प्रार्थना पत्र एंव जवाब प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थनापत्र खारीज/स्वीकार किए जाने का निवेदन किया ।

हमने प्रार्थना पत्र /जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया ।

प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पैतृक भूमि है ।पैतृक भूमि में सन्तान का समान अधिकार निहित है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के बिना पुछे एवं उनके बिना सहमती के जमीन नहीं बेचे ,न ही हस्तान्तरण करें और न ही किसी अन्य को ट्रान्सफर करें । व साथ ही प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे एंव काश्त की जमीन के शॉन्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करें ।वादीगण की जमीन छीनने,हडपने अतिकमण दखलन्दाजी करने इत्यादि की कोशिश नहीं करें ।प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे करावें ,प्रार्थीगण को अपनी जमीन समतल करने उन्नत करने हकाई जूताई एंव शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में अप्रार्थी स्वयं दखल ना करें ना ही अपने मित्र एजेण्ट या ठेकेदार के मार्फत करावे।

आदेश आज दिनांक 29.1.19 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो । नंबर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner